प.संख्या–48

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 फरवरी, 2009

माघ 30, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 340/79-वि–1–09-1(क)36-2008

लखनऊ, 19 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर दिनांक 18 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में विकलांगजन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन एवं उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 19 सितम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2—जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) "कार्य परिषद का तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ग) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(घ) "सामान्य परिषद" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद से है;

(ङ) "छात्रावास" का तात्पर्य छात्रों के लिए आवास की इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त हो;

(च) "विहित" का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(छ.) "कुल सचिव" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(ज) "परिनियमावली" का तात्पर्य धारा 32 के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की परिनियमावली से है;

(झ) "प्रभारी सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग के यथास्थित, प्रमुख सचिव या सचिव से है;

(ञ) "राज्य के वरिष्ठ अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में तैनात किये गये उत्तर प्रदेश के राजकीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से है;

(ट) 'अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में, शिक्षण और अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन और संचालन के लिए नियोजित हो;

(ठ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत स्थापित डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) से है;

(ड) "कुलपति" का तात्पर्य धारा 27 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;

(ढ) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष जैसा कि धारा 7 में उल्लेख है।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3—(1) ऐसे दिनांक से जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत करे, डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, लखनऊ में होगा।

(4) इस धारा के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में,—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अंतरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और विश्वविद्यालय के अंतरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे गठन करेगी,

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्य खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकरणों का गठन होने तक या ऐसे अन्य पूर्वतर दिनांक तक जैसा राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, पद धारण करेंगे, परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकरणों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी

कि खण्ड (ख) के अधीन अंतरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

4- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) पारम्परिक शिक्षा पद्धति एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से विकासशील क्षेत्रों में पुनर्वास पाठ्यक्रम में अध्ययन शोध एवं विस्तार कार्य में सहायता करना एवं बढ़ावा देना जिसमें दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदिता, पुनर्वास अभियान्त्रिकी / तकनीकियाँ, समुदाय आधारित पुनर्वासन, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक एवं श्रवण, अस्थिविकार तथा प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पालजी) आत्मविमोह (आटिज्म) अव्यवस्थित पुंज (स्पेक्ट्रम डिसआर्डर) पुनर्वास थेरेपी, व्यवसायिक परामर्श व पुनर्वासन, समाज कार्य प्रशासन आदि विषयों पर ध्यान दिया जायेगा,

(ख) पारम्परिक शिक्षा पद्धति एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से विकलांगता एवं उससे संबंधित विषयों पर जानकारी एवं ज्ञान का संवर्धन एवं विस्तार करना,

(ग) विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में विकलांगता के क्षेत्र में समाज की सेवा के दायित्व का भाव विकसित करना जिसके लिए उनमें विशेष शिक्षा, व्यवसायिक एवं पारम्परिक शिक्षा के कौशल का विकास करना;

(घ) विकलांग छात्रों को सशक्त करना और अन्य विद्यार्थियों के साथ बाधारहित वातावरण में उच्च शिक्षा प्रदान करना,

(ङ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियाँ और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करना, और

(च) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो संस्था के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक आवश्यक या साधक हों।

5- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे—

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य

(एक) अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के प्रायोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(दो) राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संबद्ध करना, जो, ज्ञान की नैत्यिक शाखाओं के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद के मानकों के अनुसार विशेष शिक्षा देते हैं, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, परीक्षाएँ लेते हैं और उपाधियाँ प्रदान करते हैं और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करते हैं। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर संबद्धता वापस ली जा सकती है,

(तीन) विकलांगता से संबंधित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिनमें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा विकलांगता संबंधी ज्ञान के अभिवर्धन तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(चार) विकलांगता तथा सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना ;

(पाँच) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएँ विहित करना और उन्हें विनियमित करना,

(छः) निवेश बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व लेना;

(सात) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को उचित पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(आठ) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को यथा विहित रीति से प्रदान करना;

(नौ) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(दस) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(ग्यारह) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(तेरह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायें;

(पन्द्रह) आचार्य पद, उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद के पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षिक या अनुसंधान पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना;

(सोलह) आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के रूप में या अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(सत्रह) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(अट्ठारह) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपि और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना;

(उन्नीस) विकलांगता, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके संबंध में तय किया गया हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, सहकार करना;

(बीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान और सामान्यतः ऐसी रीति से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हों, विषय के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखों का प्रबन्ध करना;

(बाइस) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनको पर्याप्त रूप से साज-सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;

(तेइस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों से सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

(चौबीस) किसी ऐसी भूमि, भवन या संकर्म को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिती का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान-प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना :

परन्तु जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहाँ राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा;

(छब्बीस) भारत सरकार के और अन्य वचन-पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मिति काटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;

(सत्ताइस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(अट्ठाइस) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;

(उन्तीस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;

(तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधि से समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुशंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(इकतीस) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(बत्तीस) शैक्षिणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी परिनियमावली द्वारा विहित की जाये, जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों;

(तैंतीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

6—(1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा सामान्य परिषद के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय कुलाध्यक्ष

7--(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे ।

(2) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में जाँच कराने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जाँच कराये जाने के अपने आशय के संबंध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने अथवा सुनें जाने का अधिकार होगा ।

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संबंध में कुलपति को लिख सकेगा और कुलपति कुलाध्यक्ष के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में, जो कुलाध्यक्ष ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रदान की हो, सामान्य परिषद को सूचित करेगा ।

(5) सामान्य परिषद ऐसे निरीक्षण या जाँच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गई कार्यवाही, यदि कोई हो के संबंध में कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

8--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे--

एक-- सामान्य परिषद

दो-- कार्यपरिषद

तीन-- विद्या परिषद

चार-- वित्त समिति : और

पाँच-- ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायें ;

सामान्य परिषद

9--(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:--

एक--पदेन सदस्य

1--मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

2--मंत्री विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3--अध्यक्ष, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ।

4--सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

5--सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6--सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

7--सचिव, व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

8--सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार।

9--आयुक्त, विकलांग जन, उत्तर प्रदेश सरकार।

10--विश्वविद्यालय का कुलपति।

11--निदेशक , राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।

12--निदेशक , राष्ट्रीय श्रवणबाधितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।

13--निदेशक , राष्ट्रीय मानसिक मन्दितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।

14--निदेशक, राष्ट्रीय अस्थिबाधितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।

15--अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद अथवा उनका नाम निर्देशिती।

दो--नामनिर्दिष्ट सदस्य

16--उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

17--विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर चुके या कार्यरत 04 प्रख्यात व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

18--अध्यक्ष, सामान्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रख्यात व्यक्ति।

(2) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सामान्य परिषद का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय का कुलपति सामान्य परिषद का सचिव होगा।

सामान्य परिषद के सदस्यों की पदावधि

10--(1) सामान्य परिषद के नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन होते हुए दो वर्ष होगी।

(2) सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा। यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नाम निर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापस ले लिया जाय।

(3) सामान्य परिषद का कोई सदस्य, यदि त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाय या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विष्ट हो, के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना सामान्य परिषद के तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे तो वह सदस्य नहीं रह जायेगा।

(4) सामान्य परिषद का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।

(5) सामान्य परिषद में कोई रिक्ति, ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता।

सामान्य परिषद की शक्तियाँ

11--सामान्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:--

एक--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम की संस्तुति करना;

दो-- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 5 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों, का प्रयोग करना, सिवाय जबकि ऐसी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हो;

तीन--विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;

चार--वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जाये;

पाँच--अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

छः– ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझें।

सामान्य परिषद के अधिवेशन

12– (1) सामान्य परिषद वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और उसके अधिवेशनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना प्रदान की जायेगी।

(2) सामान्य परिषद का अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) सामान्य परिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति की जायेगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि सामान्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) यदि सामान्य परिषद द्वारा आत्यायिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष सामान्य परिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाये। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के संबंध में सामान्य परिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और कागज-पत्रों को सामान्य परिषद के आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन कुलपति द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद

13–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन , प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों पर नियंत्रण और प्रशासन रखेगी।

कार्य परिषद का गठन

14–(1) कार्यपरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:–

एक–कुलपति।

दो–सामान्य परिषद के तीन सदस्य, जो सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

तीन–निदेशक विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार।

चार–निदेशक , उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

पाँच–विश्वविद्यालय का कुलसचिव।

छः–कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रख्यात शिक्षाविद।

सात–सामाजिक ख्याति प्राप्त तीन व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे।

आठ–महासचिव या सचिव डा० शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ।

नौ–ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक ज्येष्ठ आचार्य।

(2) कुलपति कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कुल सचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

कार्य परिषद की पदावधि

15–(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद का सदस्य हो वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्यपरिषद का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग–पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाय, यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद की उसकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के सदस्य स्वयं द्वारा कार्यपरिषद का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, परन्तु वे, यथास्थिति पुनः नाम निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग–पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जाएगा।

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्रधिकारी, जो ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन करने के लिए सशक्त हो, द्वारा यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।

कार्य परिषद की शक्तियाँ और कृत्य

16– धारा 12 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:–

(एक) विद्या परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे संबंधित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्त्तव्यों को अवधारित करना,

(दो) उक्त प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा गठित, चयन समिति की सिफारिश पर आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द, पुस्तकालयाध्यक्ष के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारणा करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना,

(पाँच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति क्रय करने में विनिधान करना और समय–समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन करना;

(छः) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना, परन्तु कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जायेगी;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश व्यथित अनुभव करें, की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय–समय पर ऐसे परिनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, परिनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जायें।

प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण

17–(1) कार्य परिषद परिनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

(2) कार्यपरिषद परिनियमावली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में न्यूनतम पचास प्रतिशत स्थान विकलांगजन के लिए आरक्षित करेगी, जिसमें से पचास प्रतिशत स्थान दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगे।

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश और अनुदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या गैर–अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

कार्य परिषद के अधिवेशन

18–(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और ऐसे अधिवेशन के लिए उसके सदस्यों को पन्द्रह दिन से अन्यून की नोटस दी जायेगी।

(2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कुल सदस्यो के एक तिहाई संख्या से उसकी किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो तो यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

19–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई परिनियमावली के अधीन रहते हुए कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जाँच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है, और उन्हें कार्य परिषद के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

विद्या परिषद

20- विद्या परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या समनुदेशित हो। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद को सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद का गठन

21- (1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, सामान्य परिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार या उनके नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक, से निम्न स्तर का न हो;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(पाँच) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हो;

(छः) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य विश्वविद्यालय के उपाचार्य और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करेगा;

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद का सदस्य हो, वहाँ उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के अध्यक्ष की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनाँक से जिस पर वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, दो वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुनः नाम-निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम–निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य

22— इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद को उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात :–

(एक) सामान्य परिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने–अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप–विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुसंधान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंधान पर समय–समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पाँच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छः) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सन्नियम बनाना और समितियाँ नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(आठ) सामान्य परिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुए अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के संबंध में कार्य परिषद को सिफारिश करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए दिनाँक नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियों, सम्मान डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिश करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना जो परिनियमावली द्वारा समय–समय पर विहित किये जाते हैं; और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो।

23– (1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु अन्यून हो, अधिवेशन करेगी। विद्या परिषद के अधिवेशन

(2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के तिहाई से विद्या परिषद के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

(4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

24–(1) विश्वविद्यालय की एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः– वित्त समिति

(एक) कुलपति;

(दो) सामान्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(पाँच) उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांग कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो,

(छः) उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(सात) कुल सचिव;

(आठ) वित्त अधिकारी– सदस्य सचिव।

(2) वित्त समिति के नाम निर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थातः–

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों की सिफारिश करना;

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद से सिफारिशें करना;

(तीन) कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिए आवधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय-समय पर विश्वविद्यालय के वित्त का अवलोकन करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा पर या कार्य परिषद या कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्यपरिषद को अपना विचार देना और सिफारिश करना।

(4) वित्त समिति प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी। वित्त समिति के चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी। परन्तु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उसका नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि (जो उपनिदेशक की श्रेणी से अनिम्न हो) के बिना कोरम पूरा नहीं होगा।

(5) कुलपति वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

(6) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाये तब तक कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह उक्त प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो कार्य परिषद का विनिश्चय अन्तिम होगा।

चयन समिति

25—(1) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यपरिषद से सिफारिश करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी।

(2) क—चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:—

(एक) कुलपति, जो समूह 'क' और समूह 'ख' के सभी अध्यापन पदों और गैर अध्यापन पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) कुल सचिव, समूह 'ग' और समूह 'घ' के सभी गैर अध्यापन पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(तीन) संबंधित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद जिसके लिए चयन किया जाना हो के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो,

(चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ:

परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से संबंधित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो, तो कुलसचिव समय-समय पर यथा संशोधित समूह 'ग' पद के लिए उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती नियमावली, 2002 (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) के उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

26—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात:

(एक) कुलपति;

(दो) कुल सचिव;

(तीन) वित्त अधिकारी;

(चार) ऐसे अन्य अधिकारी जो विहित किये जायें।

कुलपति

27—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा उन व्यक्तियों में से की जायेगी, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा कुलाध्यक्ष को भेजें जायें :-

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(एक) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य।

(दो) सामान्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य।

(तीन) कार्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य।

(3) उपधारा (4) के अधीन पदावधि की समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनॉक से यथावश्यक कम से कम 6 माह पूर्व और जब कभी भी कुलाध्यक्ष द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाध्यक्ष को कम से कम तीन और पाँच से अनधिक व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों।

(4) समिति कुलाध्यक्ष को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(5) कुलपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक जिसे सामान्य सभा की संस्तुति पर कुलाध्यक्ष द्वारा दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, पद धारण करेगा। परन्तु यह कि पहले कुलपति के कार्यकाल का विस्तार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलपति की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित की जाय।

(7) कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की सुविधा का हकदार नहीं होगा।

(8) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा सामान्य परिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो सामान्य परिषद का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर छः माह की अनधिक अवधि के लिये नियुक्त कर सकता है।

(9) यदि सामान्य परिषद की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है, या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि सामान्य परिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा कुलपति को हटाने की संस्तुति कुलाध्यक्ष को कर सकती है। कुलाध्यक्ष, कुलपति को पद से हटा सकता है।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक —

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे यह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(11) कुलपति--

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों का समुचित पालन किया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ होंगी;

(ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हो;

(घ) को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियाँ होंगी।

(12) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के संबंध में संबंधित प्राधिकरण को जिसने सामान्य स्थिति के मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

विभागाध्यक्षगण

28--(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा।

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वही होंगी जैसा विहित किया जाये।

वित्त अधिकारी

29--(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा करेगी और उसके वेतन और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी--

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा;

(ख) मतदान को छोड़कर, कार्यपरिषद के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय की अनुमति करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(छ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या परामर्श माँगे जाने पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा;

(ण) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजियाँ अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जाँच विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनाधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसके कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें;

(3) किसी अन्य कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि कुलपति उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँच ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह ऐसे अभिलेखों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

30-(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों में से की जायेगी जिसे विकलांगता के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो तथा उच्च शैक्षिक अर्हता रखता हो। कुलसचिव

(2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुलसचिव—

(एक) कार्य परिषद और कुलपति के निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपुर्द करें;

(तीन) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिसों को जारी करेगा;

(चार) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखेगा;

(पाँच) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(छः) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की यथाशक्य शीघ्र जारी कार्यसूची और अधिवेशन आयोजित होने के सामान्यतः एक माह के भीतर प्राधिकारियों के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रतियां कुलाध्यक्ष को उपलब्ध करायेगा।

(सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल अधिवेशन बुलाएगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिये उसके निर्देश लेगा;

(आठ) विश्वविद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;

(नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(दस) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाये।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा कुलपति उचित समझे।

अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी

31-(1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये परिनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति परिनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी, और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के प्रेरणा पर परिनियमों द्वारा यथाविहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी न्यायाधिकरण को माध्यस्थम हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

परिनियमावली कैसे बनायी जाये

32- (1) कार्यपरिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमावली बना सकती है:

परन्तु यह कि कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनायेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप से राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाये और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद द्वारा विचार किया जायेगा :

परन्तु यह और कि विद्या परिषद की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद निम्नलिखित में से किसी एक या सभी विषयों को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम का निर्माण, संशोधन या निरसन नहीं करेगी, अर्थात:—

(एक) विद्या परिषद का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(दो) विश्वविद्यालय संबंधी पाठ्यक्रमों और संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन संचालित करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी;

(तीन) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टियों का वापस लिया जाना;

(चार) संकायों, विभागों, हालों, और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(पाँच) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;

(छः) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्त और रीति या परीक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रम का संचालन या अध्ययन का कोई अन्य पाठ्यक्रम;

(सात) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति;

(आठ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएँ;

(2) विद्या परिषद को उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों पर परिनियम, प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(3) जहाँ कार्यपरिषद ने विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी परिनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ विद्या परिषद कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है जो आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि प्रस्तावित परिनियम को सामान्य परिषद के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाये और यह कि सामान्य परिषद के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे दिनाँक से प्रभावी होगा जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये :

परन्तु यदि परिनियम का अनुमोदन सामान्य परिषद द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जायेगा।

(4) कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये समस्त परिनियम सामान्य परिषद के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और सामान्य परिषद को कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये किसी परिनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।

विश्वविद्यालय की निधि

33-(1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान

(ग) निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दी गयी कोई वसीयत, दान, विन्यास या अन्य अनुदान

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय, और

(ङ) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त ऐसी कोई निधि सम्मिलित नहीं होगी, जो किसी योजना के लिए प्रायोजित की गयी हो।

(2) विश्वविद्यालय की निधि की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपकमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) या बैंककारी कम्पनी (उपकमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियिम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नये बैंक में रखी जायेगी या उसे

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1882) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधानित किया जा सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा विनिश्चय किया जाये।

(3) विश्वविद्यालय की निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति से किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए।

वार्षिक लेखा रिपोर्ट और संपरीक्षा

34-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय की लेखासंपरीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, करायी जायेगी।

(3) लेखों की जब सम्परीक्षा हो जाय तो कार्य परिषद द्वारा प्रकाशन किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखों की एक प्रति सामान्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) सामान्य परिषद द्वारा अपने वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा। सामान्य परिषद उससे संबंधित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद सामान्य परिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद सामान्य परिषद को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त कार्रवाइयों या कार्रवाई न करने के कारणों की सूचना देगी।

वित्तीय प्राक्कलन

35-(1) कार्य परिषद, ऐसे दिनाँक से पूर्व, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, परिनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के संबंध में बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ सामान्य परिषद को उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार

36-(1) धारा-26 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अभिभार की प्रकिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

संविदाओं का निष्पादन

37-विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से संबंधित समस्त संविदायें ऐसे अभिव्यक्त की जायेगी जैसा कि कार्य परिषद द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो उनका निष्पादन कुलपति द्वारा किया जायेगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रूपये से अधिक न हो तो कुल सचिव द्वारा किया जायेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा आदि प्रदान करना

38-विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टियों और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

मानद उपाधि

39- यदि विद्या परिषद के दो तिहाई से अन्यून सदस्य संस्तुति करते हैं कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानक उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो सामान्य परिषद किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे संस्तुत किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

40–(1) सामान्य परिषद कार्यपरिषद की संस्तुति पर सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले सामान्य परिषद के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टियाँ उपाधि, डिप्लोमा व विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें सामान्य परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो। उपाधि या डिप्लोमा को वापस लिया जाना

(2) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

(3) सामान्य परिषद द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जायेगी।

(4) सामान्य परिषद द्वारा लिये गये निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति कुलाध्यक्ष को ऐसे संकल्प के प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(5) इस संबंध में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

41–राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे, विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिए भवनों, भूमि और किसी अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित कर सकती है। सम्पत्ति का अन्तरण

42–(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा। अनुशासन

(2) उपखण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या संस्था या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा :

"परन्तु ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा"।

43–इस अधिनियम और परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी जब कभी विश्वविद्यालय किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियाँ प्राप्त करें तो:– प्रायोजित योजनायें

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, विश्वविद्यालय द्वारा निधि से पृथक रूप से रखी जायेगी, और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी, और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी वर्ग की भर्ती प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

44–(1) इस बात के होते हुए भी कि सामान्य परिषद, कार्यपरिषद, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का कोई ऐसा कार्य या कार्यवाही केवल इन कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी कि– रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न की गयी प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाही

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

45— यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के प्रथम अधिवेशन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन किये जाने से पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकती है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों से संगत कोई बात कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानों नियुक्ति या कार्यवाई इस अधिनियम और परिनियमावली में उपबन्धित रीति से की गयी हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति और ऐसे समुचित प्राधिकरण जैसा गठित किया गया हो कि इस निमित्त रिपोर्ट पर यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगी और उस पर विचार करेगी :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनाँक से तीन वर्षों के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

अस्थायी उपबन्ध

46—इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, सामान्य परिषद के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के होते हुए इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकता है जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकारी इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

47—विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाइयाँ, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जायेगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी परिनियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या की जानी तात्पर्यित हो।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

48— इस अधिनियम और किसी परिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि द्वारा प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

निरसन और अपवाद

49—(1) डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय, अध्यादेश, 2008 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5, सन् 2008) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

द परसान्स विद डिसएबिलिटीज (इक्वल ऑपार्टुनिटीज एण्ड फुल पार्टीसिपेशन, प्रोटेक्शन आफ राइट्स) ऐक्ट, 1995 की धारा 26 और 27, अठारह वर्ष तक की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निर्बाध वातावरण में सुगम्य शिक्षा सुनिश्चित करती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 48 विकलांगता के नवोन्मेषी कारणों के लिए विश्वविद्यालयों में शोध और विकास की व्यवस्था करती है। साथ ही साथ, उक्त अधिनियम की धारा 49 दूरस्थ प्रणाली के मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से विकलांग बच्चों को उच्चतर शिक्षा सुकर बनाने की भी व्यवस्था करती है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा दे रहे थे, किन्तु ऐसी संस्थाओं का अभाव था जो विकलांग बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। इसके साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि विकलांग बच्चें अपनी शारीरिक और सामाजिक समस्याओं के कारण सामान्य छात्रों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और कभी-कभी वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उच्चतर शिक्षा की ओर अग्रसर विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु विधि बनाने का विनिश्चय किया गया था जो विकलांग बच्चों को उनके अनुरूप सुगम्य और निर्बाध वातावरण में उच्चतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र होगा। यह भी विनिश्चय किया गया था कि सभी पाठ्यक्रमों में विकलांग बच्चों के लिए 50 प्रतिशत से अन्यून स्थान आरक्षित किये जायें, जिनमें से दृष्टिहीन छात्रों के लिए ही 50 प्रतिशत आरक्षित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय विकलांग छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के अनुकूल रोजगार परक व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी सुकर और उन्नत करेगा ताकि उनका सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चयों को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतएव, राज्यपाल द्वारा डा. शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2008) 29 अगस्त, 2008 को प्रख्यापित किया गया।

तदनन्तर, मुख्यतः विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने के साथ-साथ प्रतिस्थानी विधेयक के संक्षिप्त नाम को परिवर्तित करने, कतिपय महाविद्यालयों और संस्थानों को संबद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को सशक्त करने और कुलपति की पदावधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने और कुलपति की पदावधि को दो वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने का उपबन्ध करने के लिए भी पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबन्धों को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पूर्वोक्त संशोधनों सहित पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै० मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 340(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka) 36-2008

Dated Lucknow, February 19, 2009

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dr. Shakuntala Mishra Punarvas Vishwavidyalaya (Bhinnarupen Yogya Hetu) Uttar Pradesh Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam

Sankhya 01 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 18, 2009 :–

DR. SHAKUNTALA MISRA REHABILITATION UNIVERSITY (FOR DIFFERENTLY ABLED) UTTAR PRADESH ACT, 2009

(U.P. ACT No. 1 of 2009)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to establish and incorporate a University for persons with different abilities at Lucknow in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 19, 2008.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,–

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under section 22;

(b) "Executive Council" means the Executive Council of the University constituted under section 14;

(c) "Faculty" means a Faculty of the University;

(d) "General Council" means the General Council of the University constituted under section 9;

(e) "Hostel" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University;

(f) "Prescribed" means prescribed by statutes;

(g) " Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 30;

(h) "statutes" means the statutes of the University made under section 32;

(i) "Secretary-in-Charge" means the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned department of Government of Uttar Pradesh;

(j) "Senior officers of the State" means officers of the Provincial Service of Uttar Pradesh posted in the University by the State Government;

(k) "Teacher" means a teacher employed by the University for imparting education and guiding and conducting research in the University;

(l) "University" means Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) established under section 3;

(m) "Vice Chancellor" means the Vice Chancellor of the University appointed under section 27 ;

(n) ''Visitor'' means the Visitor of University referred to in section 7.

Establishment and incorporation of the University

3. (1) With effect from such date as the State Government may by notification appoint, there shall be established in the State of Uttar Pradesh a University by the name of Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled).

(2) The University shall be a body corporate.

(3) The headquarter of the University shall be at Lucknow.

(4) In relation to the University to be established under this section,-

(a) the State Government shall appoint interim officers of the University and constitute interim authorities of the University in such manner, as it thinks fit;

(b) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (c) or such other earlier date as may be specified by the State Government in this behalf ;

Provided that the State Government may, by notification, extend the term of members of such authorities, for a period not exceeding two years.

(c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the University in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members of authorities referred to in clause (b).

Objectives of the University

4. The objectives of the University shall be, -

(a) to facilitate and promote studies, research and extension work in the emerging areas including rehabilitation courses with focus on visual impairment, hearing impairment, mental retardation, rehabilitation engineering / technology, community based rehabilitations, rehabilitation psychology, speech and hearing, locomotors and cerebral palsy, autism spectrum disorder, rehabilitation therapy, vocational counseling and rehabilitation, social work / administration etc. through conventional teaching and distance education system;

(b) to advance and disseminate learning and knowledge on disability and related issues, including general education by regular and distance mode of education;

(c) to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve society in the field of disability by developing skills in regard to special education, vocational and general education;

(d) to empower physically challenged students and provide them higher education in an accessible environment alongwith other students;

(e) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and

(f) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

Powers and Functions of the University

5. The powers and functions of the University shall be:-

(i) to administer and manage the University and such centres for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the University;

(ii) to affiliate such colleges and other institutes of the state who, in addition to routine branches of knowledge provide special education as per norms of the rehabilitation Council of India, as the University may deem fit, hold examinations and to confer degrees and grant diplomas or certificates and other academic distinctions to such conditions as the University may determine. The affiliation can be withdrawn subject to violation of the above

conditions;

(iii) to provide for instructions in such branches of knowledge of learning pertaining to disability, as the University may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of disability;

(iv) to sponsor and undertake research in all aspects disability and social development;

(v) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the University for a course of study for a degree or a diploma;

(vi) to organise and undertake extra mural teaching and extension services;

(vii) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degree or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(viii) to confer honorary degree or other distinctions in such, manner as may be prescribed;

(ix) to fix, demand and receive fees and other charges;

(x) to Institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

(xi) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline, of the students of the University and to make arrangements for promoting their health;

(xii) to make arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of students;

(xiii) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government;

(xiv) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(xv) to institute professorships, readerships, Assistant Professorships, and any other teaching, academic or research posts required by the University with the prior approval of the State Government;

(xvi) to appoint persons as professors, readers, Assistant Professors or otherwise as teachers and research scholars of the University;

(xvii) to institute and award fellowships, scholarship, prizes and medals;

(xviii) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;

(xix) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research in disability, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(xx) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;

(xxi) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the University;

(xxii) to establish and maintain, within the premises of the University or elsewhere, such class rooms and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same and to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University;

(xxiii) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objectives for which the University is established;

(xxiv) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University, on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct, or to alter and maintain, any such building or works;

(xxv) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or, immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University:

Provided that where the properties have been created with the financial assistance of the State or the Central Government prior approval of the State Government shall be necessary;

(xxvi) to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate, Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other, negotiable instruments;

(xxvii) to execute conveyances transfer, re-conveyances, mortgages, leases, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University with prior approval of the State Government;

(xxviii) to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as it may deem fit;

(xxix) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or, other authorities for receiving grants;

(xxx) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed;

(xxxi) to invest the funds of the University or fund entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(xxxii) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the statutes, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University.

(xxxiii) to do all such other Ordinances and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainments or enlargements of all or any of its objectives.

Teaching in University

6. (1) All recognised teaching in connection with the degrees, diplomas and certificates of the University shall be conducted under the control of the General Council by the teachers of the University in accordance with such syllabus as may be prescribed.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be such as may be prescribed.

Visitor of the University

7. (1) The Governor of Uttar Pradesh shall be the Visitor of the University:

(2) The Visitor shall have the right to cause inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipments and of any Institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the admistiration and finances of the University

(3) The Visitor shall give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(4) The Visitor may address the Vice Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice Chancellor shall communicate to the General Council the Views of the Visitor along with such, advice as the Visitor may have offered on the action to be taken thereon.

(5) The General Council shall communicate through the Vice Chancellor the Visitor such action, if any, as it proposes to take or has been taken on the result of such inspection of inquiry.

Authorities of the University

8. The following shall be the authorities of the University:-

(i) the General Council;

(ii) the Executive Council;

(iii) the Academic Council;

(iv) the Finance Committee; and

(v) such other authorities as may be prescribed.

General Council

9. (1) There shall be a General Council of the University which shall consist of the following members, namely:-

I. *Ex-officio* Members

(i) The Chief Minister of Uttar Pradesh;

(ii) The Minister of Handicapped Welfare, Government of Uttar Pradesh;

(iii) The Chairperson of Dr. Shakuntala Misra Smriti Seva Sansthan, Lucknow;

(iv) The Secretary-in-charge of Handicapped Welfare, Government of Uttar Pradesh;

(v) The Secretary-in-charge of Higher Education, Government of Uttar Pradesh;

(vi) The Secretary-in-charge of Medical Education, Government of Uttar Pradesh;

(vii) The Secretary-in-charge of Vocational Training Department Government of Uttar Pradesh;

(viii) The Secretary-in-charge of Finance, Government of Uttar Pradesh;

(ix) The Commissioner for persons with disabilities, Government of Uttar Pradesh;

(x) The Vice-Chancellor of the University;

(xi) The Director of National Institute for visually handicapped, Government of India or his nominee;

(xii) The Director of National Institute for hearing handicapped, Government of India or his nominee;

(xiii) The Director of National Institute for mentally handicapped, Government of India or his nominee;

(xiv) The Director of National Institute for orthopedically handicapped, Government of India or his nominee;

(xv) The Chairperson, Rehabilitation Council of India or his nominee.

II. Nominated Members

(xvi) a Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh to be nominated by the State Government;

(xvii) four eminent persons who are working or who have worked in the field of disability to be nominated by the State Government;

(xviii) two eminent persons to be nominated by the chairperson of the General Council;

(2) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be the Chairperson of the General Council and the Vice-Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council.

Term of Office of Members of the General Council

10.(1) The term of the office of the nominated members of the General Council shall subject to sub-section (2) and (3) be two years.

(2) A nominated member of the General Council, shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person as the case may be.

(3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave granted by the Chairperson or acts against the interests of the University.

(4) A member of General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairperson and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairperson.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled by nomination, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

Powers of the General Council

11. The General Council shall have the following powers, namely:—

(i) to recommend the name of the Vice-Chancellor of the University under the provisions of this Act.

(ii) to exercise the powers and functions of the University referred to in section 5 except where such powers are given to some other authority or officer of the University under the provisions of this Act;

(iii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of the University;

(iv) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;

(v) to delegate all or any of its powers to the Vice Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members, and

(vi) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University.

Meetings of the General Council

12. (1) The General Council shall meet at least once in a year and at least fifteen days notice shall be given for its meetings.

(2) The Chairperson shall preside over the meeting of the General Council and in his absence, any member duly authorized by the Chairperson shall preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the General Council shall form a quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairperson or the person presiding over the-meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairperson may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the General Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the Vice Chancellor to the General Council in the annual meeting.

The Executive Council

13. (1) The Executive Council shall be chief executive body of the University.

(2) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested in the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

Constitution of the Executive Council

14. (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:-

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) Three members of the General Council to be nominated by the Chairperson of the General Council;

(iii) The Director Handicapped Welfare Government of Uttar Pradesh;

(iv) The Director Higher Education Government of Uttar Pradesh;

(v) The Registrar of the University;

(vi) Three eminent persons in the field of education nominated by the visitor;

(vii) Three persons of social eminence nominated by the State Government;

(viii) The General Secretary or Secretary of Dr. Shakuntala Misra Smriti Seva Sansthan, Lucknow;

(ix) Two whole time Senior Professors of the University, by rotation according to seniority;

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council and the Registrar shall be the Secretary of the Executive Council.

Term of Office of Executive Council

15. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(2) A member of the Executive Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if member other than the Vice-Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave granted by the Chairperson of the Executive Council or acts against the interests of the University.

(3) Members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council unless the membership of the Executive Council is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections but shall be eligible for re-nomination or re-appointment, as the case may be.

(4) A member of the Executive Council other than *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Chairperson of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted *by* the Chairperson of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority empowered to make such appointment or nomination and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

Powers and functions of the Executive Council

16. Without prejudice to the provisions of section 13, the Executive Council shall have the following powers and functions:—

(i) to create teaching posts in the University and to determine the qualifications, emoluments and duties attached thereto with the prior approval of the State Government after considering the recommendations of the Academic Council;

(ii) to appoint from time to time, Professors, Readers, Lecturers, other members of the teaching staff, the Librarian and such other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the Selection Committee constituted by statutes for the purpose;

(iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts with the prior approval of the State Government;

(iv) to manage and, regulate the finances, accounts investments, property, business and all other administrative affairs of the University;

(v) to invest any money belonging to the University including any unapplied income, in such stock funds, shares or securities, as it may, from time to time, deem fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;

(vi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;

Provided that no immovable property shall be transferred to the third party without the prior approval of the State Government.

(vii) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;

(viii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(ix) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the Officer of the University, the teacher, the students and employees who may, for any reason, feel aggrieved;

(x) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and traveling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(xi) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal;

(xii) to make such statutes as may, from time to time be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;

(xiii) to delegate any of its powers except the powers to make statutes to any Officer or Authority either temporarily or permanently; and

(xiv) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.

Reservation in admissions and appointment

17. (1) The Executive Council may, by statutes, provide for reservations of seats to the residents of the State of Uttar Pradesh and Members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes as defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation, for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 in admission to the various courses.

(2) The Executive Council shall, by statutes, provide for not less than fifty percents seats reserved for persons with disabilities in admissions to the various courses out of which fifty percent seats shall be reserved for visually handicapped students.

(3) The provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and the orders and instructions issued from time to time by the State Government with respect to reservation shall be applicable to the posts to be filled by direct recruitment or by promotion in every existing teaching or non-teaching staff of the University.

Meetings of the Executive Council

18. (1) The Executive Council shall meet at least once in three months and not less than fifteen days notice shall be given to the members thereof for such meeting.

(2) The Chairperson of the Executive Council shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One-third of the total number of members of the Executive Council, shall form the quorum at any meeting thereof.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairperson of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

Constitution of Standing Committee and appointment of *ad-hoc* committees by the Executive Council

19. (1) Subject to the provisions of this Act or the statutes made in this behalf the Executive Council may by resolution, constitute such standing committees or appoint *ad-hoc* committees for such purposes and with such powers as it may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the University.

(2) The Executive Council may co-opt persons to a standing committee or an ad-hoc committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

Academic Council

20. The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provision of this Act and the statutes, have power of control and general regulation of and be responsible for, the maintenance of standards of instructions, education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred upon or assigned to, it by this Act or the statutes, It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

Constitution of the Academic Council

21. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;

(ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of any profession or eminent public men, who are not in service of the University nominated by the Chairperson in consultation with the General Council;

(iii) the Director Handicapped Welfare Department, Government or his nominee not below the rank of Deputy Director;

(iv) all the Heads of the Departments of the University;

(v) all Professors other than the Heads of the Department, if any;

(vi) two members of the teaching staff, one each representing the Readers and the Lecturers of the University,

(2) The term of the members other than *ex-officio* members shall be two years.

(3) Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold such office of appointment.

(4) A member of the Academic Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice Chancellor or a member of faculty accepts full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without the leave of the Chairperson of the Academic Council.

(5) Unless the membership of the Academic Council thereof is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections, members of the Academic Council shall relinquish their offices on the expiry of two years from the date on which they become member of the Academic Council but shall be eligible for re-nomination or re-appointment, as the case may be.

(6) A member, of the Academic Council other than an *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Chairperson of the Academic Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairperson of the Academic Council.

(7) Any vacancy in the Academic Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authorities to make the same.

Powers and the duties of Academic Council

22. Subject to the provisions of this Act or the statutes, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

(i) to report on any matter referred to or delegated to it by the General Council or the Executive Council;

(ii) to make recommendations to the Executive Council with, regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications, emoluments and duties attached thereto;

(iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report the Executive Council as to the expediency of the abolition or subdivision of any faculty or the combination of one faculty with another;

(iv) to promote research within the University and to require, from time to time, report on such research;

(v) to consider proposals submitted by the faculties;

(vi) to lay norms and to appoint committees for admission to the University;

(vii) to recognise diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degree of the University;

(viii) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarship and other prizes and to award the same;

(ix) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their

fees, emoluments and travelling and other expenses;

(x) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;

(xi) to declare the results of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;

(xii) to award stipends, scholarship, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;

(xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by statutes; and

(xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such Ordinances as may be necessary for the proper carrying out the provisions of this Act and the statutes.

Meetings of the Academic Council

23. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.

(2) The Chairperson of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairperson of the Academic Council, or as the case may be, the member presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote,

The Finance Committee

24. (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following members namely:-

(i) the Vice Chancellor;

(ii) one member nominated by the General Council from amongst its members;

(iii) one member nominated by the Executive Council from amongst its members;

(iv) the Secretary-in-charge, Department of Higher Education, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Director;

(v) the Secretary-in-charge of Handicapped Welfare Department Government Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Director;

(vi) the Secretary-in-charge, Finance Department, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Director;

(vii) the Registrar;

(viii) the Finance Officer- Member Secretary.

(2) The nominated members of the Finance Committee shall hold office for a period of two years.

(3) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions namely:-

(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider re-appropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;

(iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice Chancellor.

(4) The Finance Committee shall meet once in every six months. The quorum shall be four members of the Finance Committee Provided that the third quorum shall not complete without the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Finance Department or an officer not below the rank of Deputy Director nominated by him.

(5) The Vice Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(6) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take decision thereon, as if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee, it shall return the proposal to the Finance Committee with the reason for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendations of the Finance Committee then the decision of the Executive Council shall be final.

Selection Committee

25. (1) The Executive Council shall constitute a Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of teachers and other employees in the University.

(2) *(a)* The selection committee shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee for all teaching posts and the non-teaching posts of Group' A' and Group 'B';

(ii) the Registrar shall be the Chairperson of the committee for all non-teaching posts of Group 'C' and Group 'D';

(iii) the Head of the Department concerned, if any who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;

(iv) (a) Where an appointment is to be made for any teaching post, three experts nominated by the Visitor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council :

Provided that till the constitution of Academic Council and Executive Council the above referred experts shall be nomianted by the Vice-Chancellor.

(b) Where an appointment is to be made to any post other than concerned with teaching, the Registrar shall constitute the selection committee as per the Provisions of Uttar Pradesh Direct Recruitment Rules, 2002 (Outside the Perview of Public Service Commision) for Group "c" psot as amended from time to time.

Officer of the University

26. The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Vice Chancellor;

(ii) the Finance Officer,

(iii) the Registrar;

(iv) such other officers as may be prescribed.

The Vice Chancellor

27. (1) The Vice Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University. The Vice Chancellor after the commencement of this Act shall be appointed by the Visitor from amongst persons whose names are sent to the Visitor by the Committee constituted in accordance with provisions of sub-section (2) :

Provided that the first Vice Chancellor shall be appointed by the State Government.

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely :–

(i) One person to be nominated by the Visitor.

(ii) One person to be nominated by the General Council.

(iii) One person to be nominated by the Executive Council.

(3) The Committee shall, as far as may be, at least six months before the date on which a vacancy in the office of the Vice Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (4), and also whenever so required and before such date as may be specified by the visitor; submit to the visitor the names of not less than three persons and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice Chancellor.

(4) The Committee shall, while submitting the names, also forward to the visitor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

(5) The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, which may be extended for a further period of two years by the Visitor on the recommendation by the General Council:

Provided that the extension of term of first Vice-Chancellor may be granted by the State Government :

Provided further that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Visitor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Visitor of such resignation.

(6) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be such as may be prescribed.

(7) The Vice Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund.

(8) The State Government may appoint any suitable person to the office of Vice Chancellor for a term not exceeding six months if the vacancy in the office of Vice Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chairperson of the General Council.

(9) If in the opinion of the General Council, the Vice Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the General Council that the continuance of the Vice Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, it may, after making proper inquiry which shall be completed preferably within six months, recommend the removal of the Vice Chancellor to the Visitor by an order. The Visitor may remove the Vice-Chancellor from the office.

(10) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (8) the State Government may order that till further orders –

(a) such Vice Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub section (5).

(b) the functions of the office of the Vice Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

(11) The Vice Chancellor shall,-

(a) ensure that the provisions of this Act and the statutes are duly observed and shall have all powers as are necessary for that purpose;

(b) subject to the specific and general directions of the Executive Council, the Vice Chancellor shall exercise all powers of the Executive Council in the management and administration of the University.

(c) convene the meetings of the General Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other Acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;

(d) have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the University.

(12) If, in the opinion of the Vice Chancellor, any emergency has arisen, which requires immediate action, he shall take such action as he deems necessary and shall report the same for confirmation, In the next meeting, of the authority concerned which in the ordinary course would have dealt with the matter.

Heads of the Department

28. (1) There shall be a Head of the Department for each of the departments in the University.

(2) The powers, functions, appointments and the conditions of service of the Heads of the Departments shall be such as may be prescribed.

The Finance Officer

29. (1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by notification by the State Government and the salary and allowances thereof shall be paid by the University.

(2) The Finance Officer shall:-

(a) present the budget (annual estimates) and the statement of account to the Executive Council and also draw and disburse funds on behalf of the University;

(b) speak in and otherwise take part in the proceedings, pertaining to matters of finance, of the Executive Council except voting;

(c) ensure that no expenditure, not authorized in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment);

(d) disallow any proposed expenditure which may contravene the provision of this Act or statutes.

(e) ensure that no financial irregularity is committed and take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(f) ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed;

(g) to exercise general supervision over the funds of the University;

(h) advise in financial matter either *suo motu* or on his advice being sought;

(i) collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the University;

(j) ensure that the registers of buildings, lands items of furniture and equipments are maintained up to date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the University;

(k) probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault.

(l) perform such other duties in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice Chancellor.

(3) In the event of the post of the Finance Officer remaining vacant for any reason the Vice Chancellor may authorize any officer in the service of the University to exercise such powers, functions and the duties of the Finance Officer as the Vice Chancellor deems fit.

(4) The Finance Officer shall have access to such records and documents and he may require the production of the such records and documents and the furnishing of such information pertaining to affairs of the University as in his opinion shall be necessary for the discharge of his duties.

The Registrar

30. (1) The Registrar shall be a whole time officer of the University. He shall be appointed by the State Government from amongst the senior officers of the State having adequate experience in the field of disability and having high qualification.

(2) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council. Academic Council, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(3) The Registrar shall:-

(i) comply with all directions and orders of the Executive Council and the Vice Chancellor;

(ii) be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

(iii) issue all notices convening meeting of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties, the Board of studies and of .any committee, appointed by the authorities of the University;

(iv) keep the minutes of all meetings of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculty and any committee appointed by the authorities of the University ;

(v) conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council;

(vi) supply the visitor the copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meeting;

(vii) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency, when neither the Vice Chancellor nor the officer duly authorised is able to Act and to take its directions for carrying on the work of the University ;

(viii) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify the pleadings or depute representatives for the purpose;

(ix) be directly responsible to the Vice Chancellor for the proper discharge of his duties and functions;

(x) perform such other duties as may be assigned to him from time to time, by the Executive Council or the Vice Chancellor under the provisions of this Act or the statutes;

(4) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, the Vice Chancellor may authorise any officer in the service of the University to exercise such powers, functions, and the duties of the Registrar as the Vice Chancellor deems fit.

Other officers and employees

31. (I) Subject to the statutes made for the purpose every other officer or employee of the University shall be appointed under written contract setting out the conditions of service as prescribed by the statutes which shall be lodged with the University and a copy thereof furnished to the officer or employee concerned.

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request by the officer or the employee concerned, or at the instance of the University be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by the regulations.

How to make Statutes

32. (1) The Executive Council may make statutes for carrying out the provisions of this Act:

Provided that the Executive Council shall not make any statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council:

Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council, the Executive Council shall not make, amend or repeal any statutes affecting any or all of the following matters, namely :–

(i) the constitution, powers and duties of the Academic Council;

(ii) the authorities responsible for organizing teaching in connection with the University courses and related academic programmes;

(iii) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(iv) the establishment and abolition of faculties, departments, halls and institutions;

(v) the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;

(vi) conditions and modes of appointment of examiners or, conduct or standard of examinations, or any other course of study;

(vii) mode of enrolment or admission of students;

(viii) examinations to be recognized as equivalent to Examinations of the University.

(2) The Academic Council shall have the power to propose statutes on all the matters specified in clauses (i) to (viii) of sub-section (I) and matters connected therewith or incidental thereto.

(3) Where the Executive Council has rejected the draft of any statutes proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Visitor, who shall by order, *direct* that the proposed statutes may be laid before the next meeting of the General Council for its approval and that pending such approval of the General Council it shall have effect from such date as may be specified in that order:

Provided that if any statutes is not approved by the General Council at such meeting, it shall cease to have effect.

(4) All statutes made by the Executive Council shall be placed before the General Council at its next meeting, and the General Council shall have the power to amend or cancel any statutes made by the Executive Council.

Fund of the University

33. (1) There shall be a Fund of the University to which the following shall be credited:—

(a) any contribution or grant made by the State Government;

(b) any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government;

(c) any bequests, donations, endowments or other grants made by private individuals or institutions;

(d) income received by the University from fees and charges; and

(e) amounts received from any other source; but shall not include any funds received from any agency for sponsoring a scheme,

(2) The amount in the Fund of the University shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act no. 2 of 1934) or in a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act no. S of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act no. 40 of 1980) or may be invested in such securities authorized by the Indian Trusts Act, 1882 (Act no. 2 of 1882) as may be decided by the Executive Council.

(3) The Fund of the University may be utilized for such purpose of the University and in such manner as may be prescribed.

The annual reports and audit of accounts

34. (1) The Annual Accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.

(2) The accounts of the University shall, at least once in a year, be audited by the Director, Local Funds Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.

(3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and shall also be submitted to the State Government.

(4) The Annual Accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting. The General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to-the Executive Council. The Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit. The Executive Council shall inform the General Council at it's next meeting, all actions taken by it or the reasons for not taking actions.

Financial Estimates

35. (1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the statutes, the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council.

(2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions as may be prescribed. Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.

Surcharge

36. (1) An officer specified in section 26 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

Execution of contracts

37. All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed as made by the- Executive Council, and shall be executed by the Vice Chancellor where the value of the contracts is above ten lakh rupees and by the Registrar, where its value does not exceed ten lakh rupees.

Grant of degree, diploma etc. by the University

38. The University shall have power to grant Degrees, Diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.

Honorary Degree

39. If not less than two-third of the members of Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction, the General Council may by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

Withdrawal of a Degree or a Diploma

40. (1) The General Council, may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree diploma or privilegg conferred on or granted to any person by a resolution passed by the majority of the total membership of the General Council and by a majority of not less than two-third of the members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a Court of law, for an offence, which in the opinion of-the General Council involves moral turpitude or if he has been guilty of gross-misconduct.

(2) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the General Council shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the General Council may appeal to the Visitor within thirty days from the date of the receipt of such resolution.

(5) The decision of the Visitor in such appeal shall be final.

Transfer of Property

41. The State Government may transfer to the University buildings, lands and any other property whether movable or immovable for use and management by the University on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purposes of this Act.

Discipline

42. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of the Department, hostels and institutions of the University.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the punishment of debarring a student from the examination or rustication from the University or a hostel or an institution, shall on the report of the Vice Chancellor be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving to the student concerned a reasonable opportunity of being heard.

Sponsored schemes

43. Whenever the University receives funds, from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Act and statutes,-

(a) the amount so received shall be kept by the University separately from the Fund of the University and utilized only for the purposes of the scheme; and

(b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

Proceedings of Authorities of Bodies not Invalid

44. (1) Notwithstanding that the General Council, the Executive Council, the Academic Council or any other authority or body of the University is not duly constituted or there is a defect in its constitution or re-constitution at any time and notwithstanding that there is no Act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall not be invalid merely by reasons of –

(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body if not prejudicially affected by such irregularity.

45. If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meeting of any authority of the University or otherwise in giving effect to the provisions of this Act and the statutes, the State Government may at any time, before all authorities of the University have been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent so far as may be, with the provisions of this Act, which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act: Removal of Difficulties

Provided that before making any such order the State Government shall ascertain and consider the report in this behalf, if any, of the Vice Chancellor and such appropriate authority of the University as may have been constituted :

Provided further that no such order shall be made after three years of the date of commencement of this Act.

46. Notwithstanding anything contained in this Act and the statutes made thereunder the Vice Chancellor may, with the previous approval of the Chairperson of the General Council and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the statutes and for that purpose he may exercise any powers or perform any duties, which by this Act and the statutes are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Act and the statutes, Transitory provisions

47. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is done or purported to have been done in good faith in pursuance of this Act or any statutes. Indemnity

48. The provisions of this Act and any statutes shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act. Act to have overriding

Repeal and saving

49. (1) Dr. Shakuntala Misra Uttar Pradesh Viklang Vishwavidyalaya Adhyadesh, 2008 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 5 of 2008.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 26 and 27 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities and Full Participation, Protection of Rights) Act, 1995 ensure accessible education in a barrier free environment to all children with disabilities up to 18 years of age, section 48 of the said Act provides for research and development in the universities for innovative causes of disabilties. Besides the above provisions section 49 of the said Act provides for facilitating higher education to children with disabilities through Open University in distance mode. Although several colleges and universities in Uttar Pradesh were imparting higher education, but there was lack of institutions, which could provide higher education to children with disabilities according to their needs. Moreover it was felt that children with disabilities do not excel at par with general students due to their physical and social problems and some times they are deprived of acquiring higher education. Keeping in view the difficulteis of children with disabilities pursuing higher education, it was decided to make a law for the establishment of a university, which shall become a centre of excellence, for ensuring higher education to children with disabilities in an accessible and barrier free environment suitable for them. It was also decided to reserve not less than fifty per cent seats of the proposed University for children with disabilities in all courses and fifty per cent of the seats as so reserved shall be reserved for visually handicapped students. The University shall also facilitate and promote job oriented vocational/technical courses suitable to different categories of students with disabilities so as to ensure their social educational and economic rehabilitation.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, Dr. Shakuntala Misra Uttar Pradesh Viklang Vishwavidyalaya Adhyadesh, 2008 (U.P. Ordinance no. 5 of 2008) was promulgated by the Governor on August 29, 2008.

Thereafter it has been decided to amend the provisions of the aforesaid Ordinance mainly to change the name of the University as well as the short title of the replacing Bill, to empower the University to affiliate certain colleges and institutes and to increase the term of the Vice-Chancellor from three years to five years and also to provide for extension of the term of Vice-Chancellor for the period of two years.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance, with the aforesaid amendment.

By order,
S. M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv..

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 991 राजपत्र (हि०)–2009–(2157)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 169 सा० विधा०–2009–(2158)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

991 RPH_Data 1